

EAST CENTRAL RAILWAY
YELLOW BULLETIN
(October -2023, ISSUE NO. 64)


Contains Irregularities/Deficiencies detected during Inspections: -

1.	All right signal was not exchanged from OFF side due to non-availability of Points man at Tarsarai (TRS) Station as observed during inspection. This can be a Safety hazard.
2.	As per Officer's Inspection Register record, last inspection was done on 15.11.2022 by Sr DCM/SPJ and since then, no record of Officer's Inspection was available at Tarsarai (TRS) Station.
3.	Board was available, but Station Name was not written on the board at Tarsarai (TRS) Station.
4.	Existing FOB needs to be extended up to PF no 3 for passengers to come on PFs on priority to avoid unsafe practices like Crossing wagons by passengers and two parts placements of Goods train at Tarsarai (TRS) Station.
5.	HOG of loco was not working as found on foot plate inspection of 13206 on 11.10.2023.
6.	Caution Board placed near KM 162/14, speed was not indicated on it in between Barauni – Mansi section.
7.	No TP/TG Board was available for 30 KMPH Speed Restriction at KM 161/24-22, in between Barauni – Mansi section.
8.	At Lakho & Begusarai stations, TSR format being used is not of the standard format issued by ECR HQ.
9.	The wall and roof of the SM panel room building found in bad condition due to seepage at Lakho & Parsa Bazaar stations.
10.	At Begusarai and Lakho stations, exchange of Pvt number is not written for the purpose the same is used.
11.	Acknowledgements of staff in regard to JPO/Circulars/Bulletins etc. are taken but date of acknowledgement is missing in most of the cases. Sectional TI to ensure that staff must put date at the time of acknowledgement.
12.	At Traffic LC 7C/PRBZ of PPN end, three roads join but there is only two side protection with height gauge.
13.	At the time of commissioning of EI panel, AC provision not installed resulting the working environment inside the EI panel is not good due to continuous sunlight from south & west side at Barauni station.
14.	e-TSR was defective from 01.08.2023 at Rafiganj and Ismailpur stations.
15.	Staff gradation resister was not maintained as per railway Board guidelines at Bhagwanpur and Phulwara stations.
16.	Railway Act Board is not available at L.C. Gate No. 59 C/E between Danapur & Neora station and L.C. Gate No. 39A/3T at Sakri Yard.
17.	During foot plate inspection of DN Goods train on 27.10.2023, DN distant signal of Teghra station was not visible from distinct place.
18.	Trimming of tree branches required for proper visibility of UP Distant signal of TEA.

SPECIAL ATTENTION TO BE PAID: -

1. Ensure full signature of Station Master concerned on authority to pass defective signals.
2. Ensure Proper up keep of foils submitted for advice & cancellation of block by Engineering Officials in prescribed form.
3. Ensure keeping of Safety equipment's in proper manner for easy accessibility at the time of requirement.
4. Strict observance and compliance of shunting rules as per GR&SR.
5. Ensure retro reflective and standard dimension of level crossing boards.

“Divisions are advised to ensure immediate circulation (in yellow color printout) to all concerned for initiating action and compliance of the above irregularities/anomalies/Special Attention and report to be sent to this office for onward action.”


(B. K. Das)
COM/G/ECR

Dated -06.11.2023.

No.ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505

Copy to:- 1. PCOM & PCSO- for kind information please.

2. DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ - for kind information please.

3. Sr.DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.

4. ZRTI MFP & BHULI for information please.

पूर्व मध्य रेल
येलो बुलेटिन

अक्टूबर - 2023, अंक सं-64


मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए:-

1.	निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संवर्ग (काँटेवाला) में कर्मचारियों की कमी होने के कारण तारसराय स्टेशन पर ऑफ दिशा से ऑलराइट सिगनल नहीं किया गया। यह संरक्षा के लिहाज से उचित नहीं है।
2.	अधिकारियों के निरीक्षण रजिस्टर रिकॉर्ड के अनुसार, तारसराय स्टेशन पर अधिकारियों का अंतिम निरीक्षण 05.11.2022 को ववाप्र/समस्तीपुर द्वारा किया गया था और उसके बाद किसी अधिकारी के निरीक्षण का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।
3.	तारसराय (टीआरएस) स्टेशन पर बोर्ड तो उपलब्ध था, लेकिन बोर्ड पर स्टेशन का नाम नहीं लिखा हुआ था।
4.	तारसराय (टीआरएस) स्टेशन पर वर्तमान एफओबी को प्राथमिकता देते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 3 तक विस्तार करने की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों प्लेटफॉर्म तक आने में असुरक्षित रूप से वैगन को पार करने और मालगाड़ी को दो भागों में प्लेसमेंट जैसी असुरक्षित कार्य करने से बचा जा सके।
5.	दिनांक 11.10.2023 को गाड़ी संख्या 13206 के फुट प्लेट निरीक्षण में लोको का एचओजी काम नहीं कर रहा था।
6.	बरौनी-मानसी खंड के बीच किमी 162/14 के पास सतर्कता संकेतक बोर्ड लगाया गया था, लेकिन उस पर गति अंकित नहीं थी।
7.	बरौनी-मानसी खंड के बीच किमी 161/24-22 पर 30 किमी प्रति घंटे की गति प्रतिबंध के लिए कोई टीपी/टीजी बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
8.	लाखो और बेगुसराय स्टेशनों पर, इस्तेमाल किया जा रहा टीएसआर प्रारूप ईसीआर मुख्यालय द्वारा जारी मानक प्रारूप का नहीं है।
9.	लाखो और परसा बाजार स्टेशनों पर पानी रिसाव के कारण स्टेशन मास्टर पैनल रूम में भवन की दीवार और छत खराब स्थिति में पाई गई।
10.	बेगुसराय और लाखो स्टेशनों पर प्राइवेट नंबर का आदान-प्रदान जिस कार्य के लिए उपयोग किया गया नहीं लिखा गया था।
11.	जेपीओ/परिपत्र/बुलेटिन आदि के संबंध में कर्मचारियों की पावती ली जाती है लेकिन अधिकांश मामलों में पावती की तारीख अंकित नहीं किया गया था। खंडीय यातायात निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी पावती के समय तारीख जरूर डालें।
12.	समपार संख्या 7 सी/परसा बाजार स्टेशन का पुनपुन छोर पर तीन सड़कें मिलती हैं लेकिन ऊंचाई गेज सुरक्षा हेतु केवल दो तरफ था।
13.	ईआई पैनल के चालू होने के समय ही एसी लगाया जाना था, परंतु निरीक्षण के दौरान नहीं पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप बरौनी स्टेशन पर दक्षिण और पश्चिम की ओर से लगातार सूरज की रोशनी के कारण ईआई पैनल के अंदर काम करने में काफी कठिनाई होता है।
14.	रफीगंज और इस्माइलपुर स्टेशन पर ई-टीएसआर 01.08.2023 से खराब था।
15.	भगवानपुर और फुलवारीटांड स्टेशन पर रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देश के अनुसार स्टाफ ग्रेडेशन रजिस्टर का रखरखाव ठीक नहीं था।
16.	समपार संख्या 59 सी/ई दानापुर और नेऊरा स्टेशनों के बीच एवं समपार संख्या 39ए/3टी/सकरी स्टेशन यार्ड पर रेलवे अधिनियम बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
17.	दिनांक 27.10.2023 को डाउन मालगाड़ी के पायदान निरीक्षण के दौरान तेघरा स्टेशन का डिस्टेंट सिगनल स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था।
18.	तेरगा स्टेशन के UP डिस्टेंट सिगनल की उचित दृश्यता के लिए पेड़ों की शाखाओं की छंटाई आवश्यक है।

विशेषरूपसे ध्यान दें :

- (1) दोषपूर्ण सिगनलों को पास करने के लिए संबंधित स्टेशन मास्टर द्वारा जारी प्राधिकार पर पूर्ण हस्ताक्षर सुनिश्चित करें।
- (2) इंजीनियरिंग विभाग द्वारा दिया गए ब्लॉक की सूचना और निरस्तीकरण मेमो को उचित रूप से रखना सुनिश्चित करें।
- (3) सुरक्षा उपकरणों को उचित तरीके से रखना सुनिश्चित करें ताकि आवश्यकता के समय आसानी से सुलभ हो।
- (4) सामान्य और सहायक नियम पुस्तिका में वर्णित शंटिंग नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
- (5) सुनिश्चित करें की समपार फाटक पर लगे सभी बोर्ड रेट्रो रिफ्लेक्टिव और मानक आयाम के लगे हो।

“मंडलों को सलाह दी जाती है की सर्वसंबंधित को तत्काल वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करे और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों/ विशेषध्यान के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।”


06/11/23
(बी.के.दास)

मुख्य परिचालन प्रबंधक (सा.)/हाजीपुर

दिनांक 06.11.2023

सं. ई.सी.आर./परि.सं./येलोबुलेटिन/ 87/505,

प्रतिलिपि- 1.प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।

2. मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।

3. वरि.मं.परि.प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ।